पत्रांक–V/उ0–1–07/2025–............./

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक– ....

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर, सम्प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, जहानाबाद के विरुद्ध जिलाधिकारी, बक्सर द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या–132/2024 दिनांक–21.06.2024, धारा–30'ए' बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत् अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया जाना, पुलिस अधीक्षक, बक्सर के प्रतिवेदनानुसार कांड के पर्यवेक्षण में श्री पाठक के विरूद्ध आरोप को सत्य पाया जाना प्रतिवेदित है। उनका आचरण राज्य की मद्यनिषेध नीति, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 यथासंशोधित के प्रावधानों, सरकारी निदेशों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के उल्लंघन है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है।

2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री पाठक के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध, पटना प्रमंडल, पटना (प्रतिनियुक्त मुख्यालय, पटना) को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अशरफ जमाल, अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री दिलीप कुमार पाठक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–V/उ0–1–07/2025–................/ 1134 पटना, दिनांक– 20.08.25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–V / उ0–1–07 / 2025–................/ 482/मनि. पटना, दिनांक– ..20.08.25..

प्रतिलिपिः– आरोप पत्र (साक्ष्य तालिका सहित) की प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, उपायुक्त मद्यनिषेध, पटना प्रमंडल, पटना (प्रतिनियुक्त मुख्यालय, पटना) / प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अशरफ जमाल, अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर / श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर, सम्प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, जहानाबाद एवं आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक–आरोप पत्र साक्ष्य सहित।

सरकार के संयुक्त सचिव

आरोप–पत्र

(1) प्रथम भाग–सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1.	नाम	:–श्री दिलीप कुमार पाठक
2.	पदनाम	:–अधीक्षक मद्यनिषेध
3.	जन्मतिथि	:–10.11.1970
4.	सेवानिवृत्ति की तिथि	:–30.11.2030
5.	सेवा/संवर्ग का नाम	:–बिहार मद्य निषेध सेवा
6.	पद समूह एवं विभाग	:–'ख'
7.	वरीयता कम/सिविल लिस्ट कमांक	:–40/2019
8.	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर	:–वेतन स्तर–09
9.	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:–वर्ष 2024 एवं अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर।
10.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 बी. के तहत् कालबाधित होने की तिथि	:–सेवानिवृत्त नहीं है

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

(2) द्वितीय भाग--अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

(1) श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में दिनांक--09.08.2024 से बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के लंबे अवकाश में रहे। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा पुलिस अधीक्षक, बक्सर का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें प्रतिवेदित है कि श्री दिलीप कुमार पाठक को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा--30(ए) के तहत् दर्ज बक्सर औद्योगिक थाना कांड सं0--132/24 दिनांक--21.06.2024 में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है।

प्रश्नगत थाना कांड शराब तस्करी करने वाले तथा वाहन में शराब के साथ पकड़े जाने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया था। मामले के अनुसंधन के क्रम में पाया गया कि अप्राथमिकी अभियुक्त श्री हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, बक्सर एवं श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध के बीच दूरभाष से बातचीत किया जाता था। श्री हरेन्द्र सिंह के मोबाईल में ऑडियो क्लिप पाया गया जिसमे शराब की तस्करी एवं गाड़ी पार कराने के संदंध में श्री पाठक का जिक्र किया गया है। श्री हरेन्द्र सिंह एवं श्री दिर्लीप कुमार पाठक का एक साथ फोटो भी पाये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त के आधार पर श्री पाठक के विरूद्ध मामले को सत्य पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर को विभागीय नियमों के प्रतिकूल बिना पूर्वानुमति अनाधिकृत अवकाश में रहने तथा राज्य के मद्यनिषेध नीति तथा विभागीय अधिनियम/नियम के विरूद्ध कार्य करने का दोषी पाया गया। श्री पाठक के विरूद्ध अपराधिक मामला अन्वेषण/जाँच के अधीन है तथा शराब की तस्करी करने वाले व्यक्तियों से श्री पाठक का संबंध उजागर हुआ है, जो सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकुल है।

(2) श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में, का उक्त कृत्य बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 यथासंशोधित,सरकारी निदेशों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम--3 एवं विभागीय आदेशो के प्रतिकूल है।

17/6/24

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

(3) तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

(1) श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में, द्वारा दि0–09.08.2024 से दि0–25.08.2024 तक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित किया गया। इसी बीच जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–01–1697 दि0–22.08.2024 के माध्यम से श्री पाठक द्वारा तबीयत खराब होने के कारण दि0–09.08.2024 से अवकाश आवेदन समर्पित कर दि0–25.08.2024 तक अवकाश के विस्तार हेतु विभाग का भेजे गये पत्र के संबंध में उल्लेख किया गया। उनके द्वारा श्री पाठक के अवकाश में जाने की अनुमति का उल्लेख नहीं किया गया और न ही विभाग से पुर्वानुमति ली गई।

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलीस अधीक्षक बक्सर के पत्रांक–3335 दि0–22.08.2024 द्वारा बक्सर औद्योगिक थाना कांड सं0–132/24 दि0–21.06.24 में धारा 30 'ए' बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संसोधन) अधिनियम, 2018 के तहत् अप्राथमिकी अभियुक्त श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्का0 अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर के विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया।

प्रश्नगत थाना कांड शराब तस्करी करने वाले तथा वाहन में शराब के साथ पकड़े जाने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि मामले के अनुसंधन के क्रम में पाया गया कि अप्राथमिकी अभियुक्त श्री हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, बक्सर एवं श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध के बीच दूरभाष से बातचीत किया जाता था। श्री हरेन्द्र सिंह के मोबाईल में ऑडियो क्लिप पाया गया जिसमे शराब की तस्करी/गाड़ी पार कराने के संबंध में श्री दिलीप कुमार पाठक का जिक्र किया गया है। श्री हरेन्द्र सिंह एवं श्री दिलीप कुमार पाठक का एक साथ फोटो भी पाये जाने का उल्लेख है। उक्त के आधार पर श्री पाठक के विरूद्ध मामले को सत्य पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर द्वारा पूर्वानुमति के बिना अवकाश में रहने तथा राज्य के मद्यनिषेध नीति तथा विभागीय अधिनियम/नियम के विरूद्ध कार्य करने का दोषी पाया गया। श्री पाठक के विरूद्ध अपराधिक मामला अन्वेषण/जाँच के अधीन है तथा शराब की तस्करी करने वाले व्यक्तियों से उनका संबंध उजागर हुआ है, जो सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकुल है।

(2) उक्त से स्पष्ट है श्री दिलीप कुमार पाठक, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतिक्षा में, का आचरण सरकरी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। श्री पाठक कर्तव्य पर से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे तथा उनके द्वारा राज्य की मद्यनिषेध नीति, बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 यथासंशोधित के प्रावधानो, सरकारी निदेशो एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 का उल्लंघन है।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

(4) चतुर्थ भाग–(क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क.	संबंधितपत्र / अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1	जिला पदाधिकारी, बक्सर का पत्रांक–01–1697 दि0–22.08.2024	(कुल–05 पृष्ठ)
2	पुलिस अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक–1600 दिनांक–05.11.2024 के माध्यम से प्राप्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर सदर का प्रतिवेदन	(कुल–03 पृष्ठ)

(ख) साक्षियो की सूची

1. श्री अविनाश कुमार, पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, औद्योगिक थाना क्षेत्र, बक्सर
2. श्री धीरज कुमार, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर सदर।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक– 1600 / म0नि0को0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, बक्सर

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

सेवा में,

निरंजन कुमार,
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

बक्सर, दिनांक :– 05 वीं नवम्बर, 2024

प्रसंग :– मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना का पत्रांकः–V/उ0–1–07/2024 3780, दिनांक–13.09.2024

विषय :– बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 के धारा–30(ए) के तहत् दर्ज बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या–132/24 दिनांक–21.06.2024 के संबंध में।

––/––

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में प्राप्त पत्र की जॉच अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर बक्सर से करायी गयी। उन्होनें जॉचोपरांत अपना जॉच प्रतिवेदन ज्ञापांक–4141/अनु0, दिनांक–02.11.2024 समर्पित किया है, जिसकी जॉच प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ।

अनु0:– यथोपरि।

विश्वासभाजन

5/11/24

पुलिस अधीक्षक, बक्सर।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक–4141/अनु0

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय,
बक्सर, दिनांक– 02-11-24

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय,
बक्सर।

प्रसंग:– भवदीय का कार्यालय ज्ञापांक–1463/म0नि0को0, दिनांक–08.10.24, मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार पटना का पत्रांकः–/उ0–1–07/2024, 3780, दिनांक–13.09.2024

विषयः– **बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 के धारा–30(ए) के तहत् दर्ज बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या–132/24 दिनांक–21.6.2024 के संबंध में।**

....

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि औद्योगिक थाना कांड संख्या–132/24 में आवेदन जॉच हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आवेदन जॉच के क्रम में पाया गया कि आवेदक अविनाश कुमार पु0नि0–सह–थानाध्यक्ष औधोगिक थाना क्षेत्र, जिला बक्सर में कार्यरत के टंकित आवेदन के आधार पर औद्योगिक थाना कांड सं0–132/24, दि0–21.06.2024 धारा–30(ए) विहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 01. स्कार्पियो रजि० नं०–BR01PH4831 के चालक राजू कुमार पे० नामालूम सा०–करबानी चौक पटना (2) स्कार्पियो रजि० नं०–BR01PH4831 में सवार भोला कुमार उम्र 18 वर्ष पे० स्व०–सूरज पासवान सा०–भूतनाथ रोड थाना आगमकुआ पटना (3) स्कार्पियो रजि० नं०–BR01PH4831 के मालिक (4) टाटा इंडिगो कार रजि० नं०– BR01BM7463 का ड्राईवर हनी कुमार पिता विनय भारती सा०–मोसिनपुर थाना खुशरूपुर जिला पटना एवं उसमे सवार (5)राजू कुमार पिता महावीर चौधरी सा०–पोठिया थाना दीदारगंज जिला पटना (6) श्रीकांत कुमर पिता स्व०–मल्लू पासवान सा०–नेकरा थाना मोकामा जिला पटना (7) टाटा इंडिगो कार रजि० नं०– BR01BM7463 का मालिक (8) HONDA CITY कार जिसका रजि० नं०-WB06A3234 के चालक (9) HONDA CITY कार जिसका रजि० नं०–WB06A3234 के मालिक (10) मनीष कुमार मोबाईल नं०–8789459229 (11) गृहरक्षक 141630 शेषनाथ यादव पे०–धर्मदेव यादव सा०–मानिकपुर थाना सिमरी (12) गृहरक्षक 141749 रामाशंकर सिंह पे०–दरोगा सिंह सा०–मंझरिया थाना औधोगिक क्षेत्र दोनों जिला बक्सर (13)पाठक जिसका मोवाईल नं०–9939010899 के विरुद्ध मिली भगत कर शराब का कारोबार करने तथा शराब के साथ पकड़े जाने के आरोप में अंकित किया गया हैं।

इस कांड में अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पिता श्री गोपाल जी सिंह, सा0 अमसारी, थाना मुरार, जिला बक्सर का व्हाट्सअप जिसमें मोबाईल नम्बर–9470617293 से चल रहे व्हाट्सअप का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि 01.मो0 नं0–7256998663 जिसके धारक दिलीप कुमार पाठक पिता श्री ध्रुव पाठक, सा0 जगत बिहार कॉलोनी, आशियाना नगर, पटना सदर, पटना पिन–800025 है का मोबाईल नं0 इनके मोबाईल में पाठक जी के नाम से सेव है, जिसका अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दिनांक–15.06.24 को एक बार, दिनांक–20.06.24 को तीन बार तथा दि0– 31.06.24 को तीन बार, हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह एवं मो0 नं0–7256998663 के धारक दिलीप कुमार पाठक के बीच व्हाट्सप कॉल के माध्यम से बातचित किया गया है एवं मोबाईल नं0–9473400624 जो Excise Superintendent Buxar के नाम से सेव है से दिनांक–21.06.24 को दो बार, दिनांक–22.06.24 को एक बार व्हाट्सप कॉल के माध्यम से बातचित किया गया है। 02. मोबाईल नं0–8409064161 के धारक शेषनाथ यादव से दिनांक–14.06.24 को तीन बार तथा दि0–22.06.24 को एक बार व्हाट्सप कॉल के माध्यम से बातचित किया गया है। 03. मोबाईल नं0–9939110899 के धारक दयानंद पाठक पिता हरिनारायण पाठक, सा0 नियाजीपुर, थाना सिमरी, जिला बक्सर जो हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के मोबाईल में झुना पाठक के नाम से सेव नम्बर व्हाट्सअप अवलोकन किया गया तो पाया गया कि हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के व्हाटअप पर झुना पाठक के द्वारा अलग–अलग तारीखों का अलग–अलग नमबर पर रुपया भेजकर पे फोन का स्क्रीन शॉट भेजा गया है तथा दिनांक–03.04.24 को एक रिकॉर्डिंग झुना पाठक के द्वारा भेजा गया है,

Scanned with OKEN Scanner

सका ऑडियो नम्बर 20240403--WA0901 का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि गाड़ी पार कराने की बात तथा बक्सर होते हुए आरा भेजे जाने के क्रम में गाडी पकड़ाये और गाडी लोड होने की बात दिलीप भईया से बात होने की बात बक्सर एक्साईज के द्वारा नहीं पकड़े जाने की बात तथा आरा एक्साईज के द्वारा गाड़ी पकडे जाने की बात की जा रही है, जिस रिकॉर्डिंग का साक्ष्य हरेन्द्र उर्फ मुन्ना सिंह के मोबाईल में मौजूद है तथा झुना पाठक से फोन कॉल के माध्यम से दिनांक--16.06.24 को दो बार, दिनांक-19.06.24 को एक बार बातचित किया गया है। 04. हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के व्हाट्सअप मीडिया फाइल का अवलोकन किया गया तो व्हाट्सअप ऑडियों फाइल में ऑडियो नं0-20240413-WA0108 दिनांक-03.05.24 को भेजे गये ऑडियों का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दो व्यक्ति के बीच बातचीत किया गया है जिसमें दोनों व्यक्ति के बीच बक्सर गोलम्बर पर गाड़ी पकडे जाने की बात तथा इस कांड में पकड़ाये व्यक्ति से बातचीत में बताया जा रहा है कि पाठक जी वहाँ के मेन अफसर से बात करो और उनके द्वारा पूछे जाने पर बताया कि आपके थ्रू काम होता है और ये बाबा का सामान है और पूछेगा कि किसके थ्रू माल पास होता है तो कहना कि आप ही के सिपाही के थ्रू ही माल पास होने की बात की जा रही है, तथा 05. हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के मोबाईल फोन के गैलरी का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दिनांक-11.03.24 सुय 17:04 मिनट में एक फोटो जिसमें दिलीप पाठक और हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह साथ में फोटो में है, जिस फोटो का साक्ष्य हरेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के मोबाईल में मौजूद है।

कांड का अनुसंधान, पर्यवक्षण एवं प्रतिवेदन-02 मे आये तथ्यों से यह कांड धारा-420/467/468/469/471/120(बी) भा0द0वि0 एवं 30(ए) बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2018 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 01.स्कार्पियों रजि0 नं0- BR01PH4831 के चालक राजू कुमार पे० नामालूम सा०-करबानी चौक पटना (2) स्कार्पियो रजि० नं०-BR01PH4831 में सवार भोला कुमार उम्र 18 वर्ष पे० स्व०-सूरज पासवान सा०-भूतनाथ रोड थाना आगमकुआ पटना (3) स्कार्पियो रजि० नं०-BR01PH4831 के मालिक (4) टाटा इंडिगो कार रजि० नं०- BR01BM7463 का ड्राईवर हनी कुमार पिता विनय भारती सा०-मोसिनपुर थाना खुशरूपुर जिला पटना एवं उसमे सवार (5)राजू कुमार पिता महावीर चौधरी सा०-पोठिया थाना दीदारगंज जिला पटना (6) श्रीकांत कुमर पिता स्व०-मल्लू पासवान सा०-मेकरा थाना मोकामा जिला पटना (7) टाटा इंडिगो कार रजि० नं०- BR01BM7463 का मालिक (8) HONDA CITY कार जिसका रजि० नं०-WB06A3234 के चालक (9) HONDA CITY कार जिसका रजि० नं०-WB06A3234 के मालिक (10) मनीष कुमार मोबाईल नं०-8789459229 (11) गृहरक्षक 141630 शेषनाथ यादव पे०-धर्मदेव यादव सा०-मानिकपुर थाना सिमरी (12) गृहरक्षक 141749 रामाशंकर सिंह पे०-दरोगा सिंह सा०-मझरिया थाना औधोगिक क्षेत्र दोनों जिला बक्सर (13) झुन्ना पाठक जिसका मोबाईल नं०-9939010899 एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 14.हरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, सा0 अमसारी, थाना मुरार जिला बक्सर 15. दिलीप पाठक, उत्पाद अधीक्षक बक्सर, मो0 नं0-9473400624 के विरूद्व सत्य पाया गया है एवं 16. देवज स्थित मद्य निषेध चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त सिपाही पंकज मिश्रा, मोबाईल नं0-7321840109 के इस कांड में संलिप्तता के विन्दु पर ठोस साक्ष्य संकलित करने हेतु अनुसंधानकर्ता को निर्देषित किया गया हैं। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

अतः श्रीमान् को कृपया सादर सूचनार्थ।

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,
बक्सर।

Scanned with OKEN Scann

अंशुल अग्रवाल, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, बक्सर

समाहरणालय,बक्सर
(जिला स्थापना शाखा)

Anshul Agarwal, I.A.S.
District Magistrate,Buxar

E-mail Id : dm-buxar.bih@nic.in, Ph. (06183) 222335 (Res.), 222336 (Off.) Fax No. 06183) 222231(Res.), 226935 (Off.)

पत्रांक 01-1697/स्था0,

दिनांक 22/08/2024

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा मे,

सचिव –सह आयुक्त,
मद्य निषेध विभाग,
बिहार, पटना

विषय :– श्री दिलीप कुमार पाठक, अधीक्षक, मद्य निषेध, बक्सर की अनुपस्थिति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री दिलीप कुमार पाठक, अधीक्षक, मद्य निषेध, बक्सर के द्वारा तबियत खराब हो जाने के वजह से दिनांक 09.08.2024 एवं 10.08.2024 को दो दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 11.08.2024 रविवारीय अवकाश हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया गया। श्री पाठक द्वारा दिनांक 25.08.2024 तक अवकाश की अवधि विस्तार हेतु विभाग को भेजे गये आवेदन की प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में उल्लेखित करना है कि पुलिस अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक 3335/अप0शा0 दिनांक 22.08.2024 द्वारा बक्सर औद्योगिक थाना कांड सं0–132/24 दिनांक– 21.06.2024, धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 के तहत अप्राथमिकी अभियुक्त श्री दिलीप कुमार पाठक, उत्पाद अधीक्षक, बक्सर के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनानुसार कांड के पर्यवेक्षण में इनके विरूद्ध आरोप को सत्य प्रतीत होना बताया गया है।

उपरोक्त के आलोक में श्री दिलीप कुमार पाठक, अधीक्षक, मद्य निषेध, बक्सर के अवकाश आवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन को संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

22/8/24

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

पत्रांक 3335 /अप०शा०.
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, बक्सर।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

दिनांक- 22/02/2024

विषय:- बक्सर औद्योगिक थाना कांड सं0-132/24 दि०-21.06.2024, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 के अप्राथमिकी अभियुक्त दिलीप पाठक, उत्पाद अधीक्षक, बक्सर के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय संबंध में सादर सूचित करना है कि बक्सर औद्योगिक थाना कांड
सं0-132/24 दि०-21.06.2024, धारा-30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018। यह कांड
वादी अविनाश कुमार, पु०नि०-सह-थानाध्यक्ष औद्योगिक थाना क्षेत्र के कम्प्यूटरीकृत स्वयं अंकित बयान के आधार
पर प्राथमिकी अभियुक्त 01. स्कार्पियो रजि०नं०-BR01PH-4831 के चालक राजू कुमार, पे०-नामालूम,
सा०-करबानी चौक, पटना, मो0नं0-9973184269, (2) स्कॉर्पियो रजि०नं०-BR01PH-4831 में सवार भोला
कुमार, उम्र 16 वर्ष, पे०-स्व० सूरज पासवान, सा०-भूतनाथ रोड, थाना आगमकुआं, पटना, (3) स्कार्पियो
रजि०नं०-BR01PH-4831 के मालिक, (4) टाटा इंडिगो कार रजि०नं०-BR01BM-7463 का ड्राईवर हनि
कुमार, पिता विनय भारती, सा०-मोसिनपुर, थाना खुशरूपुर, जिला पटना एवं उसमें सवार (5) राजू कुमार, पिता
महावीर चौधरी, सा०-पोठिया, थाना दीदारगंज, जिला पटना, (6) श्रीकांत कुमार, पिता-स्व० मल्लू पासवान,
सा०-मेकरा, थाना मोकामा, जिला पटना, (7) टाटा इंडिगो कार रजि०नं०-BR01BM-7463 का मालिक, (8)
HONDA CITY कार जिसका रजि०नं०-WB06A-3234 के चालक, (9) HONDA CITY कार जिसका
रजि०नं०-WB06A-3234 के मालिक, (10) मनीष कुमार, मोबाईल नं०-8789459229, (11) गृहरक्षक 141630
शत्रुघ्न यादव, पे०-धर्मदेव यादव, सा०-मानिकपुर, थाना सिमरी, (12) गृहरक्षक 141749 रामाशंकर सिंह,
पे०-दरोगा सिंह, सा०-नंझारिया, थाना औद्योगिक क्षेत्र, दोनों जिला बक्सर, (13) पाठक, जिसका
मोबाईलनं०-9939010899 के विरुद्ध मिली भगत कर शराब का कारोबार करने तथा विदेशी शराब की कुल
मात्रा-949.4 लीटर के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हैं।

पर्यवेक्षण से इस कांड को धारा-420/120(बी) भा०द०वि० एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं
उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 01. स्कार्पियो रजि० नं०-BR01PH-4831 के
चालक राजू कुमार, पे०-नामालूम, सा०-करबानी चौक पटना, (2) स्कॉर्पियो रजि० नं०-BR01PH-4831 में
सवार भोला कुमार, उम्र 16 वर्ष, पे०-स्व० सूरज पासवान, सा०-भूतनाथ रोड, थाना आगमकुआं पटना, (3)
स्कार्पियो रजि०नं०-BR01PH-4831 के मालिक, (4) टाटा इंडिगो कार रजि०नं०-BR01BM-7463 का ड्राईवर
हनि कुमार, पिता विनय भारती, सा०-मोसिनपुर, थाना खुशरूपुर, जिला पटना एवं उसमें सवार, (5) राजू कुमार,
पिता महावीर चौधरी, सा०-पोठिया, थाना-दीदारगंज, जिला-पटना, (6) श्रीकांत कुमार, पिता-स्व० मल्लू पासवान,
सा०-मेकरा, थाना-मोकामा, जिला-पटना, (7) टाटा इंडिगो कार रजि०नं०-BR01BM-7463 का मालिक, (8)
HONDACITY कार, जिसका रजि०नं०-WB06A-3234 के चालक, (9) HONDA CITY कार जिसका
रजि०नं०-WB06A-3234 के मालिक, (10) मनीष कुमार, मोबाईल नं०-8789459229, (11) गृहरक्षक 141630
शत्रुघ्न यादव, पे०-धर्मदेव यादव, सा०-मानिकपुर, थाना सिमरी, (12) गृहरक्षक 141749 रामाशंकर सिंह,
पे०-दरोगा सिंह, सा०-नंझारिया, थाना औद्योगिक क्षेत्र, दोनों जिला बक्सर, (13) अप्राथमिकी अभियुक्त हरेन्द्र कुमार
सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, सा० अमसारी, थाना मुरार, जिला बक्सर एवं (14) दिलीप पाठक, उत्पाद अधीक्षक बक्सर,
मोबाईल नं०-9473400624 15 दवल स्थित मद्य निषेध चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त सिपाही पंकज मिश्रा, के
मोबाईल नं०-7321840109 के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना बताया गया है एवं प्राथमिकी अभियुक्त पाठक, जिसका
मोबाईल नं०-9939010899 के अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर अंतिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व कुछ बिन्दुओं पर
जाँचोपरांत ही निर्णय लिया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होना बताया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवेदन–02 से इस कांड को धारा– 420/467/468/469/471/120(बी) भा०द०वि० एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 01. स्कार्पियो रजि०नं०-BR01PH-4831 के चालक राजू कुमार, पे०–नामालूम, सा०–करवानी चौक पटना, (2) स्कॉर्पियो रजि०नं०-BR01PH-4831 में सवार भोला कुमार, उम्र 18 वर्ष, पे०–स्व० सूरज पासवान, सा०–भूतनाथ रोड थाना आगमकुआं पटना, (3) स्कार्पियो रजि०नं०-BR01PH-4831 के मालिक, (4) टाटा इंडिगो कार रजि०नं०-BR01BM-7463 का ड्राईवर हनि कुमार, पिता विनय भारती, सा०–गोरिनपुर, थाना खुशरूपुर, जिला पटना एवं उसमे सवार, (5) राजू कुमार, पिता महावीर चौधरी, सा०–पोठिया, थाना–दीदारगंज, जिला–पटना, (6) श्रीकांत कुमार, पिता–स्व० मल्लू पासवान, सा०–मेकरा, थाना–मोकामा, जिला–पटना, (7) टाटा इंडिगो कार रजि०नं०-BR01BM-7463 का मालिक, (8) HONDACITY कार, जिसका रजि०नं०-WB06A-3234 के चालक, (9) HONDA CITY कार जिसका रजि०नं०-WB06A-3234 के मालिक, (10) मनीष कुमार, मोबाईल नं०-8789459229, (11) गृहरक्षक 141630 शेषनाथ यादव, पे०–धर्मदेव यादव, सा०–मानिकपुर, थाना सिमरी, (12) गृहरक्षक 141749 रामाशंकर सिंह, पे०–दरोगा सिंह, सा०–गंझरिया, थाना औद्योगिक क्षेत्र, दोनों जिला बक्सर, (13) मुन्ना पाठक, जिसका मोबाईल नं०-9939010899 एवं (14) अप्राथमिकी अभियुक्त हरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, सा० अगसारी, थाना मुरार, जिला बक्सर (15) दिलीप पाठक, उत्पाद अधीक्षक बक्सर, मोबाईल नं०-9473400624 के विरूद्ध सत्य प्रतीत होता है एवं (16) देवल स्थित मद्य निषेध चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त सिपाही पंकज मिश्रा, मोबाईल नं०-7321840109 के इस कांड में संलिप्तता के विन्दु पर और ठोस साक्ष्य संकलित करने के उपरांत इनके अभियुक्तिकरण के विन्दु पर निर्णय लेना श्रेयष्कर प्रतीत होता है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त दिलीप पाठक, उत्पाद अधीक्षक, बक्सर के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

प्रतिलिपि–1. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. पु०नि०–सह–थानाध्यक्ष, औद्योगिक के माध्यम से अनुसंधानकर्त्ता पु०अ०नि० रमन राउत को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

Scanned with OKEN Scan

दिलीप कुमार पाठक,
बि0म0से0
अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर

कार्यालय अधीक्षक मद्यनिषेध, बक्सर
(मद्यनिषेध एवं उत्पाद, विभाग)

DILIP KUMAR PATHAK
Superintendent Prohibition &
Excise Buxar

पत्रांक: 1551 E-mail : buxar-excise@nic.in, Mob : 9473400624 दिनांक: 08/08/24

प्रेषक,
अधीक्षक मद्यनिषेध
बक्सर।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

विषय : अकास्मिक अवकाश के सबंधं में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में भवदीय से अनुरोध पूर्वक कहना हैं कि मुझे कल रात से अचानक तबियत खराब हो गई है जिसके ईलाज हेतु पटना जाना है। जिसके कारण मै कार्यालय आने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त के आलोक में भवदीय से अनुरोध है कि दिनांक–09.08.2024 से 10.08.2024 को दो दिनों का अकास्मिक अवकाश एवं दिनांक–11.08.2024 को रविवासरीय अवकाश देने की कृपा की जाए। इस अवधी में आलोक रंजन चौधरी, निरीक्षक मद्यनिषेध–सह–उत्पाद थानाध्यक्ष, बक्सर प्रभार में रहेगें। इनका मो0–7766925100 है।

भवदीय को सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 8/8/24
अधीक्षक मद्यनिषेध
बक्सर।

डा० अमरेन्द्र कुमार
Dr. Amarendra Kumar
M.B.B.S. (Hons.), M.S. (Surg.)
D.N.B. (Surg.), M. Ch. (Plastic)
FRCS (Glasgow)
Consultant General Paediatric Plastic & Laproscopic Surgeon
Ex. Associate Professor & HOD paediatrics Surgery, PMCH
Regd. No. 15715 (BCMR)
e-mail amarendrakr@yahoo.co.uk

SPECIALIST CLINIC & NURSING HOME
PATNA - 25

A Unit of Sonali Healthcare Pvt. Ltd.
Friends Colony Main Road, East of Ashiyana Nagar, Patna-800 025
Ph.: 0612 -2583665, Mob.: 9835488434,

9/8/24

75.2 Kg

Sri Dilip Kr. Pathak
L-18 Jagat Bihar colony
Ashiyana nagar

P. 74/m SpO2 98% BP: 130/80 mmHg

Chest
CVS
Abd — NAD

c/o Acute lumbago = 2 days
got little relief c medication. analgesic
No h/o DM
No h/o trauma

Spine Tenderness at L-S junction
No neurological deficit
? Acute disc prolapse

Rx
(i) Rest absolute bed rest = 3 days
(ii) Dilona - 1 amp I.M BD = 3 day
(iii) Pantop DSR — 10 (1x)
(iv) Meganeuron NT — 15 (1x)
(v) Bedrest for therapy
(vi) Aceclofenac — 30 (1x)
Report after 1 wk

Adv
(1) x-ray AP + lat view of L-S spine
(2) CBC
(3) Blood Sugar
(4) KFT — S. creat, S. uric Acid, S. electrolytes
(5) R/E urine

Facilities :- General Surgery, Paediatric Surgery, Laproscopic Surgery, Plastic & Cosmetic Surgery, Ortho-Maxilo-Facial Surgery & Dental Surgery 30 Beds Speciality Clinic c A C Rooms, other Specialists on call
15 दिन पर फीस